रजिस्टर्ड नं० ल0-33/13-14/93.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 जुलाई, 1993/26 आषाढ़, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मार्च, 1992

सं0 एल0 एल0 आर0 (राजभाषा) बी0 (16)-1/92.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन ऐक्ट, 1979 (1979 का 21)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को

एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना आपेक्षित हो, तो यह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979

(1979 का 21)

(....को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में उपेक्षित या अपचारी बालकों की देख-रेख, संरक्षण, भरण-पोषण कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वासन का तथा अपचारी बालकों के विचारण का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बालक अधिनियम, 1979 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "भीख मांगना" से अभिप्रेत है—

(i) लोक-स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति या किसी प्राईवेट परिसर में भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से प्रवेश करना चाहे वह गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने या वस्तुओं को बेचने के बहाने से हो या अन्यथा ;

(ii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्धापित करने के उद्देश्य से है अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव-जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना ;

(iii) अपने को भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजनार्थ प्रदर्शन के रूप में उपयोग में लाए जाने देना ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन गठित बालक-कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "वेश्यागृह", "वेश्या", "वेश्यावृत्ति" और "लोकस्थान" के वही अर्थ होंगे जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 में क्रमश: उन्हें दिए गए हैं ; (1956 का 104)

(घ) "बालक" से अभिप्रेत है ऐसा लड़का जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या ऐसी लड़की जिसने अठारह वर्ष की आयु नहीं की है ;

(ङ) "बालक-न्यायालय" से धारा 5 के अधीन गठित न्यायालय अभिप्रेत है ;

(च) "बालक-गृह" से सरकार द्वारा बालक-गृह के रूप में धारा 9 के अधीन स्थापित या प्रमाणित संस्था अभिप्रेत है ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से उपेक्षित बालकों के सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है और अपचारी बालकों के सम्बन्ध में, धारा 5 के अधीन गठित बालक-न्यायालय अभिप्रेत है और जहां कि ऐसा बोर्ड या बालक न्यायालय गठित न किया गया हो वहां इसके अन्तर्गत कोई ऐसा न्यायालय है जो बोर्ड या बालक-न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन सशक्त किया गया हो;

(ज) "अनिष्टकर मादक द्रव्य" का वही अर्थ होगा जो उसे अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 में दिया गया है; 1930 का 2

(झ) "अपचारी बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह ठहराया गया है कि उसने अपराध किया है;

(ञ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ट) "योग्य व्यक्ति" या "योग्य संस्था" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था (जो पुलिस थाना या जेल न हो) जिसे सक्षम प्राधिकारी उसकी देख-रेख और संरक्षण में सौंपे गए किसी बालक को, ऐसे निबन्धनों और ऐसी शर्तों पर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, लेने और उसकी देख-रेख करने के लिए योग्य पाए;

(ठ) बालक क सम्बन्ध में "संरक्षक" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो बालक के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का संज्ञान करने वाले सक्षम प्राधिकारी की राय में तत्समय उस बालक को वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखता हो;

(ड) "उपेक्षित बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है—

(i) जो भीख मांगते पाया जाता है, अथवा

(ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास-स्थान या जीवन-निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है या जो निराश्रित पाया जाता है, चाहे वह अनाथ हो या नहीं, अथवा

(iii) जिसके माता-पिता या संरक्षक उसकी उचित देख-रेख करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए अयोग्य या असमर्थ हैं या वह बालक की उचित देख-रेख नहीं करता है और उस पर नियन्त्रण नहीं रखता है, अथवा

(iv) जो वेश्यागृह में या वेश्या के साथ रहता है या बहुधा ऐसे स्थान पर जाता है जो वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है या जिसके बारे में यह पाया जाता है कि वह किसी वेश्या का या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो अनैतिक, मत्त या दुराचारी जीवन व्यतीत करता है;

(ढ) "सम्प्रेक्षण गृह" से कोई ऐसी संस्था या स्थान अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा धारा 11 क अधीन सम्प्रेक्षण गृह के रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त हो;

(ण) "अपराध" से किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन दण्डनीय अपराध अभिप्रत है;

(त) "सुरक्षित स्थान" से अभिप्रेत हैं ऐसा कोई स्थान या ऐसी कोई संस्था (जो पुलिस थाना या जेल न हो) जिसका भारसाधक व्यक्ति किसी बालक को अस्थाई रूप से लेने या उसकी देख-रेख करने क लिए रजामन्द हैं और जो सक्षम प्राधिकारी की राय में बालक के लिये सुरक्षित स्थान हो;

(थ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1958 का 20 (द) "परिवीक्षा अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) "विशेष विद्यालय" से सरकार द्वारा धारा 10 के अधीन स्थापित या प्रमाणित संस्था अभिप्रेत है;

(न) इस अधिनियम के अधीन किसी माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देख-रेख में रखे गए बालक के सम्बन्ध में "पर्यवेक्षण" से परिवीक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उस बालक का पर्यवेक्षण अभिप्रेत है कि बालक की उचित रूप से देख-भाल की जाए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाए; और

1974 का 2 (प) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस संहिता में दिए गए हैं।

3. जहां कि किसी बालक के विरुद्ध जांच आरम्भ कर दी गई हो और उस जांच के दौरान वह बालक न रह जाए वहां इस अधिनियम में, या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति के बारे में जांच ऐसे चालू रखी जा सकेगी और ऐसे आदेश किए जा सकेंगे मानो वह व्यक्ति बालक बना रहा हो। ऐसे बालक के बारे में जांच चालू रखना जो बालक न रह गया हो।

अध्याय-2

सक्षम प्राधिकारी और बालकों के लिए संस्थाएं

4. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के लिए एक या अधिक बालक-कल्याण बोर्ड गठित कर सकेगी कि वे उपेक्षित बालकों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करे। बालक-कल्याण बोर्ड।

1974 का 2 (2) बोर्ड एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें नियुक्त करना सरकार ठीक समझे और उनमें कम से कम एक महिला होगी; और हर ऐसे सदस्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन की मैजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होंगी।

1974 का 2 (3) बोर्ड मैजिस्ट्रेटों के न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगा और उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

1974 का 2 5. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के लिये एक या अधिक बालक-न्यायालय गठित कर सकेगी कि अपचारी बालकों बालक-न्यायालय।

के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन ऐसे न्यायालय को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करें।

(2) बालक न्यायालय, न्यायपीठ गठित करने वाले, उतने प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेटों से मिलकर बनेगा जितने नियुक्त करना सरकार ठीक समझे और उनमें से एक प्रधान मैजिस्ट्रेट के रूप में पदाविहित किया जायेगा तथा हर ऐसे न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा, प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी। 1974 का 2

(3) प्रत्येक बालक-न्यायालय की सहायता ऐसी अर्हताएं जो विहित की जाएं, रखने वाले दो अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के पनल द्वारा की जायेगी, इनमें से कम से कम एक महिला होगी और ऐसा पैनल सरकार नियुक्त करेगी।

बोर्डों और बालक-न्यायालयों के संबंध में प्रक्रिया आदि।

6. (1) बोर्ड के सदस्यों में या बालक-न्यायालय के मजिस्ट्रेटों में मतभेद होने की दशा में, बहुसंख्या की राय अभिभावी होगी, किन्तु जहां कि ऐसी बहुसंख्या न हो वहां यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रधान मैजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी।

(2) बोर्ड या बालक-न्यायालय, यथास्थिति, बोर्ड के किसी सदस्य या बालक-न्यायालय के किसी मैजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य न होगा कि कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान, यथास्थिति, कोई सदस्य या मैजिस्ट्रेट अनुपस्थित था।

(3) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य अथवा बालक-न्यायालय में मैजिस्ट्रेट के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह सरकार की राय में, बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण की राय का विशेष ज्ञान न रखता हो।

बोर्ड और बालक-न्यायालय की शक्तियां

7. (1) जहां किसी क्षेत्र के लिये बोर्ड या बालक न्यायालय गठित कर दिया गया हो वहां किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्ता अन्यथा उपबन्धित हैं, ऐसे बोर्ड या न्यायालय को, यथा स्थिति, उपेक्षित या अपचारी बालकों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनन्यतः कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु यदि बोर्ड या बालक-न्यायालय को यह राय हो कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह किसी कार्यवाही को, यथास्थिति, किसी बालक-न्यायालय या बोर्ड को अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां प्रथम परन्तुक के अधीन किसी कार्यवाही के अन्तरण के सम्बन्ध में बोर्ड और बालक-न्यायालय के बीच कोई मतभेद हो, तो वहां इसे मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को विनिश्चय के लिए निर्दिशित किया जायेगा और ऐसे मामले में जहां जिला मैजिस्ट्रेट, बोर्ड या बालक-न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा हैं वहां, ऐसा मतभेद सेशन न्यायालय को निर्देशित किया जायेगा और ऐसे निर्देश, पर यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) जहां कि किसी क्षेत्र के लिये कोई बोर्ड या बालक-न्यायालय गठित न किया गया हो, वहां इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड या बालक-न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां उस क्षेत्र में केवल निम्नलिखित द्वारा प्रयुक्त की जायेंगी, अर्थात् :—

(क) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, या

(ख) प्रथम श्रेणी का कोई न्यायिक मैजिस्ट्रेट।

(3) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड या बालक-न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा भी उस दशा में प्रयुक्त की जा सकेंगी जब कि कोई कार्यवाही उनके समक्ष अपील या पुनरीक्षण में या अन्यथा आएं।

अधिनियम के अधीन सशक्त न किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

8. (1) जब किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट की जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड या बालक-न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त न हो, यह राय हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन उसके समक्ष (साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ से अन्यथा) लाया गया व्यक्ति बालक है तब वह उस राय को अभिलिखित करेगा और उस बालक को तथा उस कार्यवाही के अभिलेख को उस कार्यवाही पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) वह सक्षम प्राधिकारी, जिसे उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाही भेजी जाए, इस प्रकार जांच करेगा मानो बालक मूलतः उसके समक्ष लाया गया हो।

बालक-गृह।

9. (1) सरकार उपेक्षित बालकों को इस अधिनियम के अधीन रखने के लिये उतनी संख्या में बालक-गृह स्थापित कर सकेगी और बनाए रख सकेगी जितने आवश्यक हों।

(2) जहां कि सरकार की यह राय हो कि उप-धारा (1) के अधीन स्थापित संस्था से भिन्न कोई संस्था इस अधिनियम के अधीन वहां भेजे जाने वाले उपेक्षित बालकों को रखने के लिये ठीक है, वहां वह उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बालक-गृह के रूप में प्रमाणित कर सकेगी।

(3) हर बालक-गृह जिसे कोई उपेक्षित बालक इस अधिनियम के अधीन भेजा जाए, बालक के लिये वास सुविधा, भरण-पोषण और शिक्षा की सुविधाओं की ही व्यवस्था न करेगा, अपितु उसके लिए अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की व्यवस्था भी करेगा और उसे इस बात के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देगा कि वह नैतिक खतरों या शोषण से अपना संरक्षण करे, और उसके सर्वतोमुखी वृद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अन्य ऐसे कृत्य भी करेगा जो विहित किए जाएं।

(4) सरकार बालक-गृहों के प्रबन्ध के लिये जिसमें उस द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकार भी है और उन परिस्थितियों के लिये जिनमें, तथा उसे रीति के लिए जिससे किसी बालक-गृह का प्रमाण-पत्र अनुदत्त या प्रत्याहृत किया जा सकेगा, उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगा।

विशेष विद्यालय।

10. (1) सरकार अपचारी बालकों को इस अधिनियम के अधीन रखने के लिये उतनी संख्या में विशेष विद्यालय स्थापित कर सकेगी और बनाए रख सकेगी जितने आवश्यक हों।

(2) जहां कि सरकार की यह राय हो कि उप-धारा (1) के अधीन स्थापित संस्था से भिन्न कोई संस्था इस अधिनियम के अधीन वहां भेजे जाने वाले अपचारी बालकों को रखने के लिए ठीक है, वहां वह उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेष विद्यालय के रूप में प्रमाणित कर सकेगी।

(3) हर विशेष विद्यालय, जिसे कोई अपचारी बालक इस अधिनियम के अधीन भेजा जाए, बालक के लिये वास-सुविधा, भरण-पोषण और शिक्षा की सुविधाओं की ही व्यवस्था न करेगा, अपितु उसके लिए अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की व्यवस्था भी करेगा और उसे उसके सुधार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देगा और उसके सर्वतोमुखी वृद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अन्य ऐसे कृत्य भी करेगा जो विहित किए जाएं।

(4) सरकार विशेष विद्यालयों के प्रबन्ध के लिए जिसमें उनके द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकार भी हैं, और उन परिस्थितियों के लिये जिनमें, तथा उस रीति के लिए जिससे विशेष विद्यालय का प्रमाण-पत्र अनुदत्त या प्रत्याहृत किया जा सकेगा, उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी।

संप्रेक्षण-गृह। 11. (1) सरकार किन्हीं बालकों के बारे में इस अधिनियम के अधीन जांच लम्बित रहने के दौरान उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिये उतनी संख्या में संप्रेक्षण-गृह स्थापित कर सकेगी और बनाए रख सकेगी जितने आवश्यक हों।

(2) जहां कि सरकार की यह राय हो कि उप-धारा (1) के अधीन स्थापित संस्था से भिन्न कोई संस्था इस अधिनियम के अधीन बालकों के बारे में जांच लम्बित रहने के दौरान उन्हें अस्थाई तौर पर रखने के लिये ठीक है, वहां यह उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ संप्रेक्षण-गृह के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी।

(3) हर संप्रेक्षण-गृह, जिसे कोई बालक इस अधिनियम के अधीन भेजा जाए उस बालक के लिये वास-सुविधा, भरण-पोषण और चिकित्सीय परीक्षा और उपचार की सुविधाओं को ही व्यवस्था न करेगा, अपितु उसके लिए उपयोगी उपजीविका की सुविधिओं की व्यवस्था भी करेगा।

(4) सरकार संप्रेक्षण-गृहों के प्रबन्ध के लिये जिसमें उनके द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकार भी है और उन परिस्थितियों के लिय जिनमें, तथा उस रीति के लिये जिससे, संप्रेक्षण-गृह के रूप में मान्यता किसी संस्था को प्रदान की जा सकेगी या प्रत्याहृत की जा सकेगी, उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी।

पश्चात्-वर्ती देख-रेख संगठन। 12. सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा—

(क) पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठनों की स्थापना या उनकी मान्यता प्रदान करने और ऐसी शक्तियों के लिये उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के प्रभावी निष्पादन के लिये उनके द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी;

(ख) पश्चात्वर्ती देख-रेख कार्यक्रम की ऐसी स्कीम के लिये उपबन्ध कर सकेगी जिसका अनुसरण पश्चात्वर्ती देख-रेख के ऐसे संगठनों द्वारा किया जायेगा जो बालक-गृह

या विशेष विद्यालय से बालकों के उन्मोचन के पश्चात् उनकी देख-रेख के प्रयोजन के लिये तथा उन्हें ईमानदार, परिश्रमी और उपयोगी जीवन बिताने के लिये समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए हों;

(ग) यथास्थिति, बालक-गृह या विशेष विद्यालय से बालक के छोड़े जाने से पूर्व प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में परिवीक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे बालक की पश्चात्वर्ती देख-रेख की आवश्यकता और प्रकार के बारे में ऐसी पश्चात्वर्ती देख-रेख की कालावधि, उसके पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में रिपोर्ट की तैयारी के बारे में और उसके प्रस्तुत किए जाने और ऐसे प्रत्येक बालक की प्रगति के बारे में परिवीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी;

(घ) ऐसे पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठनों द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं के स्तर और प्रकार के लिये उपबन्ध कर सकेगी ;

(ङ) ऐसे अन्य विषयों के लिये उपबन्ध कर सकेगी जो बालकों के पश्चात्वर्ती देख-रेख कार्यक्रम की स्कीम के प्रभावीरूप से निष्पादन करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों।

अध्याय-3

अपेक्षित बालक

13. (1) यदि किसी पुलिस आफिसर को, या अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, यह राय हो कि कोई व्यक्ति दृष्यमानतः उपेक्षित बालक है तो ऐसा पुलिस आफिसर या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष लाने के लिए उसे अपने भारसाधन में ले सकेगा। उपेक्षित बालकों का बोर्डों के समक्ष पेश किया जाना।

(2) जब कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमा के भीतर पाए गए किसी उपेक्षित बालक की इत्तिला दी जाए तब वह उस प्रयोजनार्थ रखी जाने वाली पुस्तक में इस इत्तिला का सार लिखेगा और उस पर ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह ठीक समझे और यदि वह आफिसर उस बालक को अपने भारसाधन में लेने की प्रस्थापना न करे तो वह की गई प्रविष्टि की एक प्रतिलिपि बोर्ड को भेजेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन भारसाधन में लिया गया हर बालक उस स्थान से जिसमें बालक को भारसाधन में लिया गया हो बोर्ड तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसे भारसाधन में लिये जाने से चौबीस घण्टे की कालावधि के भीतर बोर्ड के समक्ष लाया जायेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन भारसाधन में लिया गया हर बालक तब के सिवाय जब वह अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ रखा जाए, संप्रेक्षण-गृह को (न कि पुलिस थाने या जेल को) तब तक के लिये भेजा जायेगा जब तक वह बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके ।

उपेक्षित बालक के माता या पिता होने की दशा में अनुसरण की जाने वाली विशेष प्रक्रिया।

14. (1) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पुलिस आफिसर या प्राधिकृत व्यक्ति की राय में उपेक्षित बालक हो, कोई माता-पिता या संरक्षक हो जो बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियन्त्रण रखता हो तो पुलिस आफिसर या प्राधिकृत व्यक्ति बालक को भारसाधन में लेने के बजाय बोर्ड को बालक के बारे में जांच आरम्भ करने के लिए रिपोर्ट देगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर बोर्ड माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह बालक को उसके समक्ष पेश करे और इस बात का हेतुक दर्शित करे कि उस बालक के विषय में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उपेक्षित बालक के रूप में कार्रवाई क्यों न की जाए और यदि बोर्ड को यह प्रतीत हो कि बालक को उसकी अधिकारिता से हटाए जाने की या छिपाए जाने की संभाव्यता है तो वह उसके संप्रेक्षण-गृह या किसी सुरक्षित स्थान में लाए जाने का आदेश तुरन्त (यदि आवश्यक हो तो बालक के तुरन्त पेश किए जाने के लिए तलाशी वारण्ट निकालने द्वारा) कर सकेगा।

उपेक्षित बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा जांच।

15. (1) जब कोई व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथन हो कि वह उपेक्षित बालक है, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए तब वह उसे पुलिस आफिसर या प्राधिकृत व्यक्ति को, जो बालक को लाया हो या जिसने रिपोर्ट की हो, परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सार अभिलिखित करेगा और विहित रीति से जांच करेगा और बालक के सम्बन्ध में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।

(2) जहां जांच करने पर बोर्ड का समाधान हो जाए कि कोई बालक उपेक्षित बालक है और उसके बारे में ऐसी कार्रवाई करना समीचीन है वहां बोर्ड बालक के, बालक न रह जाने तक की कालावधि के लिये बालक-गृह में भेजे जाने का निर्देश देने वाला आदेश कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड ऐसे ठहरने की कालावधि को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, बढ़ा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में ठहरने की कालावधि उससे आगे की न होगी जब बालक, लड़के की दशा में अठारह वर्ष या लड़की की दशा में बीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ले :

परन्तु यह और कि यदि बोर्ड का समाधान हो जाए कि ऐसा करना मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समीचीन है तो वह ठहरने की कालावधि को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों जैसे, ऐसी कालावधि तक, जैसी वह ठीक समझे, घटा सकेगा।

(3) किसी बालक के बारे में जांच लम्बित रहने के दौरान बालक, तब के सिवाये जब वह माता-पिता या संरक्षक के साथ रखा जाए, संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान को, ऐसी कालावधि के लिये जो बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट हो, भेजा जायेगा :

परन्तु कोई बालक अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ तब न रखा जायेगा जब बोर्ड की राय में ऐसा माता-पिता या संरक्षक बालक की उचित देख-रेख करने या उस पर नियन्त्रण रखने के अयोग्य या असमर्थ हो या वह उचित देख-रेख न करता हो और नियंत्रण न रखता हो।

16. (1) यदि बोर्ड यह कि समझे तो वह धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन बालक को बालक-गृह भेजने का आदेश करने के बजाय बालक को माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देख-रेख में रखने का आदेश बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिये और ऐसी शर्तों के अनुपालन के लिये, जिन्हें अधिरोपित करना बोर्ड ठीक समझे, उत्तरदायी होने का प्रतिभू सहित या रहित बन्धपत्र ऐसे माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने पर, कर सकेगा। उपेक्षित बालक की उपयुक्त अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करने की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश करते समय या किसी पश्चात्वर्ती समय पर बोर्ड यह अतिरिक्त आदेश कर सकेगा कि बालक ऐसी कालावधि के लिये पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाये जो प्रथमतः तीन वर्ष से अधिक की न हो।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समय बोर्ड को, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह प्रतीत हो कि बालक के बारे में उसके द्वारा अधिरोपित शर्तों में से किसी का भंग हुआ है तो वह, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह आदेश कर सकेगा कि बालक को बालक-गृह भेजा जाए।

17. जहां बालक के माता-पिता या संरक्षक, बोर्ड से यह शिकायत करें कि वह बालक की उचित देख-रेख करने और उस पर नियन्त्रण रखने में असमर्थ हैं और जांच करने पर बोर्ड का समाधान हो जाए कि बालक के बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए, वहां वह बालक को संप्रेक्षण-गृह या किसी सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा और ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे और धारा 15 और धारा 16 के उपबन्ध ऐसी कार्यवाही को यथा शक्य लागू होंगे। अनियंत्रणीय बालक।

अध्याय-4

अपचारी बालक

18. (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो जमानतीय या अजमानतीय अपराध का अभियुक्त हो और दृश्यमान रूप में बालक हो, गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाए अथवा बालक न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो या लाया जाए तब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जायेगा किन्तु इस प्रकार उसे तब नहीं छोड़ा जायेगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत हों कि उसके ऐसे छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संग किसी कुख्यात अपराधी से होगा या वह नैतिक खतरे के लिये उच्छन्न होगा या उसके छोड़े जाने से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे। बालकों की जमानत और अभिरक्षा।

(2) जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन जमानत न छोड़ा जाए तब ऐसा आफिसर उसे विहित रीति से संप्रेक्षण-गृह या किसी सुरक्षित स्थान में (न कि किसी पुलिस थाने या जेल में) तब के लिए रखवाएगा जब तक उस बालक को न्यायालय के समक्ष न लाया जा सके।

(3) जब कि ऐसा व्यक्ति बालक-न्यायालय द्वारा उप-धारा (1) के अधीन जमानत पर न छोड़ा जाए तब वह जेल सुपुर्द करने के बजाय उसे उसके बारे में जांच के लम्बित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा जैसी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

माता-पिता या संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला।

19. जहां कि कोई बालक गिरफ्तार किया जाए वहां उस पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर जिस पर वह बालक लाया जाए, गिरफ्तारी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र—

(क) उस बालक के माता-पिता या संरक्षक को, यदि उसका पता चले, ऐसी गिरफ्तारी की इत्तिला देगा और यह निदेश देगा कि वह उस बालक-न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जिसके समक्ष बालक उपसंजात होगा; और

(ख) परिवीक्षा अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी की इत्तिला देगा जिससे कि वह बालक के पूर्ववृत और कौटुम्बिक इतिहास के बारे में तथा अन्य ऐसे तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अभिप्राप्त कर सके जिनके बारे में यह संभाव्य हो कि वे जांच करने में बालक-न्यायालय के लिये सहायक होंगी।

अपचारी बालकों के बारे में बालक न्यायालय द्वारा जांच।

20. जहां कि अपराध से आरोपित बालक बालक-न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो या पेश किया जाए, वहां बालक-न्यायालय धारा 41 के उपबन्धों के अनुसार जांच करेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वह बालक के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

वे आदेश जो अपचारी बालकों के बारे में पारित किए जा सकेंगे।

21. (1) जहां कि बालक-न्यायालय का जांच करने पर यह समाधान हो जाए कि बालक ने अपराध किया है, वहां किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह बालक-न्यायालय, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे तो,—

(क) बालक को उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने दे सकेगा;

(ख) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देख-रेख में रखने का आदेश, बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिये उस न्यायालय की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंधपत्र ऐसे माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने पर, कर सकेगा;

(ग) बालक को निम्नलिखित समय के लिए विशेष विद्यालय में भेजने का निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा, अर्थात्:—

(1) चौदह वर्ष की आयु के लड़के या सोलह वर्ष से अधिक आयु की लड़की की दशा में तीन वर्ष से अन्यून कालावधि के लिए;

(2) किसी अन्य बालक की दशा में तब तक के लिये जब वह बालक न रह जाए:

परन्तु बालक न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करना अपराध की प्रकृति तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समीचीन है, ठहरने की कालावधि को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी कालावधि तक, जैसी वह ठीक समझे, घटा सकेगा:

परन्तु यह और कि बालक-न्यायालय ऐसे ठहरने की कालावधि को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, बढ़ा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में ठहरने की कालावधि उससे आगे की न होगी जब बालक, लड़के की दशा में अठारह वर्ष या लड़की की दशा में बीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ले;

(घ) यदि बालक चौदह वर्ष से अधिक आयु का हो और धन अर्जन करता हो तो उसे आदेश दे सकेगा कि वह जुर्माना दे।

(2) जहां कि उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश किया जाए वहां बालक-न्यायालय, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा करना बालक के तथा लोकहित में समीचीन है, अतिरिक्त आदेश कर सकेगा कि अपचारी बालक आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में, तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, रहेगा और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिन्हें वह अपचारी बालक के सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यदि तत्पश्चात् किसी समय बालक-न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि अपचारी बालक पर्यवेक्षण की कालावधि के दौरान सदाचारी नहीं रहा है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे अपचारी बालक को विशेष विद्यालय भेजे जाने का आदेश कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला बालक-न्यायालय बालक को तथा, यथास्थिति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति को, जिसकी देख-रेख में बालक रखा गया हो, आदेश के निबन्धन और शर्तें समझा देगा और तत्काल उस पर्यवेक्षण आदेश की प्रतिलिपि, यथास्थिति, बालक के माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति को और, यदि कोई प्रतिभू हो तो उन्हें भी, और परिवीक्षा अधिकारी को देगा।

(4) विशेष विद्यालय या ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा के लिये कोई बालक इस अधिनियम के अधीन सुपुर्द किया जाना या सौंपा जाना हो अवधारित करने में न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक को उसकी अपनी धार्मिक आस्था के प्रतिकूल धार्मिक शिक्षण न दिया जाए, बालक के धार्मिक सम्प्रदाय का सम्यक् ध्यान रखेगा।

22. (1) जहां किसी बालक ने जुर्माने से दण्डनीय अपराध किया है और बालक न्यायालय की यह राय है कि मामला जुर्माने के अधिरोपण द्वारा, चाहे किसी अन्य दण्ड सहित या रहित, श्रेष्ठ रूप से पूर्ण हो जायेगा, तो उक्त न्यायालय, किसी मामले में और यदि बालक चौदह वर्ष की आयु से कम का हो, आदेश कर सकेगा कि जुर्माना बालक के माता-पिता या संरक्षक द्वारा संदत्त किया जायेगा, जब तक कि उक्त न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि बालक के माता-पिता या संरक्षक को ढूंढा नहीं जा सकता है या बालक की सम्यक् रूप से देखभाल की अपेक्षा उस द्वारा अपराध किए जाने का कारण तो नहीं बनी है। बालक के स्थान पर माता-पिता द्वारा जुर्माना इत्यादि संदत्त करने का आदेश देने की शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन माता-पिता या संरक्षक के विरुद्ध, जो, हाजिर होने की अपेक्षा किए जाने पर, ऐसा करने में असफल रहा है, ऐसा आदेश किया जा सकेगा, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय, माता-पिता या संरक्षक की सुनवाई का अवसर दिए बिना, ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन माता-पिता या संरक्षक को जुर्माना संदत्त करने का निदेश दिया जाता है, वहां रकम को सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा। 1908 का 5

(4) माता-पिता या संरक्षक ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा मानो कि आदेश, उसके विरुद्ध कार्यवाहियों में पारित, दण्डादेश था।

वे आदेश जो अपचारी बालकों के विरुद्ध पारित न किए जा सकेंगे।

23. (1) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी भी अपचारी बालक को मृत्यु या कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जायेगा और न जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर या प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारागार सुपुर्द किया जायेगा:

परन्तु जहां कि ऐसे बालक ने, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, कोई अपराध किया हो और बालक-न्यायालय का समाधान हो जाए कि किया गया अपराध ऐसी गंभीर प्रकृति का है या यह कि उसका आचरण और आचार ऐसा रहा है कि वह उसके हित में या विशेष विद्यालय में के अन्य बालकों के हित में न होगा, कि उसे ऐसे विशेष विद्यालय भेजा जाए और यह कि इस अधिनियम के अधीन उप बन्धित अन्य अध्युपायों में से कोई भी उपयुक्त या पर्याप्त नहीं है वहां बालक-न्यायालय अपचारी बालक के ऐसे स्थान में और एसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश कर सकेगा और उस मामले की रिपोर्ट सरकार के आदेशार्थ देगा।

(2) बालक-न्यायालय से उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकारी बालक के बारे में ऐसे इन्तजाम कर सकेगी जैसे वह उचित समझे और ऐसे अपचारी बालक के ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, निरुद्ध रखे जाने का आदेश कर सकेगी:

परन्तु इस प्रकार आदिष्ट निरोध की कालावधि कारावास के उस अधिकतम कालावधि से अधिक न होगी जिसके लिए वह बालक उस किए गए अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया जा सकता था।

आठ वर्ष से कम आयु के बालक।

24. न्यायालय आठ वर्ष से कम आयु के बालक को प्रमाणित संस्था में भेजे जाने का आदेश नहीं करेगा जब तक किसी कारण से, जिसके अन्तर्गत उसकी अपनी धार्मिक आस्था के उपयुक्नत व्यक्ति का, जो उसकी देखभाल का भार अपने ऊपर लेने का इच्छुक हो, अभाव भी है, न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि उसके साथ अन्यथा उपयुक्त व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की कार्यवाही का बालक के विरुद्ध न हो सकना।

25. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकुल बात के होते हुए भी, किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता क अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जायगी, और न कोई आदेश पारित किया जायेगा। 1974 का 2

1974 का 2 26. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बालक न हो किसी अपराध के लिये आरोपित या विचारित नहीं किया जायेगा। बालक को और बालक से भिन्न व्यक्ति का संयुक्त विचारण न होना।

(2) यदि कोई बालक किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त हो जिसके लिए वह बालक 1974 का 2 और कोई अन्य व्यक्ति, जो बालक न हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, उस दशा में जब कि उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध न होता, एक साथ आरोपित और विचारित किया जाता तो उस अपराध का संज्ञान करने वाला न्यायालय उस बालक और अन्य व्यक्ति के पृथक विचारणों का निदेश देगा।

27. किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि कोई बालक जिसने कोई अपराध किया हो और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जा चुकी हो किसी ऐसी निरर्हता के, यदि कोई हो, अधीन न होगा जो ऐसी विधि के अधीन अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो। दोषसिद्धि से होने वाली निरर्हताओं का हटाया जाना।

28. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है किसी क्षेत्र में के न्यायालय में, उस तारीख को जब कि यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, लम्बित बालक विषयक सब कार्यवाहियां उस न्यायालय में ऐसे चालू रखी जाएगी मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि बालक ने अपराध किया है तो वह उस निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा और उस बालक के बारे में कोई दण्डादेश करने की बजाए उस बालक को बालक न्यायालय भेज देगा, जो उस बालक के बारे में आदेश इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे करेगा मानो इस अधिनियम के अधीन जांच पर उसका समाधान हो गया था कि बालक ने वह अपराध किया है। लम्बित मामलों के बारे में विशेष उपबन्ध।

अध्याय—5

साधारणतः सक्षम अधिकारियों और बालक-न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अधिकारियों/न्यायालयों के आदेशों की अपील और पुनरीक्षण

29. (1) बोर्ड या बालक-न्यायालय अपनी बैठकें ऐसे स्थान पर, ऐसे दिन और ऐसी रीति से करेगा, जिसे विहित किया जाए। बोर्डों और बालक न्यायालयों की बैठकें आदि।

(2) जहां ऐसा अलग न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है, तो वहां न्यायालय, जिसके समक्ष बालक को लाया जाता है, जब कभी साध्य हो, या तो उससे भिन्न इमारत या कमरे में जिसमें न्यायालय की बैठकें मामूली तौर पर होती हैं या उनसे विभिन्न तारीख या विभिन्न समय पर जिसकी बैठकें मामूली तौर पर होती है, बैठेगा।

3. (1) उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है, निम्नलिखित के सिवाय कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की किसी बैठक में उपस्थित न होगा, अर्थात्:— वे व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारों के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे।

(क) सक्षम प्राधिकारी का कोई अधिकारी, या

(ख) सक्षम प्राधिकारी के सक्षम की जांच के पक्षकार, बालक का माता-पिता या संरक्षक और जांच से सीधे सम्पृक्त अन्य व्यक्ति, जिनके अन्तर्गत पुलिस आफिसर और विधि व्यवसायी हैं, और

(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात करे ।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि जांच के दौरान किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी बालक के हित में या शिष्ठता या नैतिकता के आधार पर यह समीचीन समझे कि किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत पुलिस अफिसर, विधि व्यवसायी को, माता-पिता, संरक्षक या स्वयं बालक हैं, हट जाना चाहिए तो सक्षम प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे सकेगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे निदेश का अनुपालन करने से इन्कार करे तो सक्षम प्राधिकारी उसे हटवा सकेगा, और इन प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग करा सकेगा, जो आवश्यक हो ।

(3) कोई विधि-व्यवसायी बोर्ड की विशेष अनुज्ञा के बिना, बालक कल्याण बोर्ड के समक्ष किसी मामले या कार्यवाही में उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा ।

किसी अपराध इत्यादि के लिए आरोपित बालक के माता-पिता की हाजिरी।

31. (1) जहां किसी बालक का किसी अपराध से आरोपित किया जाता है या उसको किसी विशेष विद्यालय में भेजे जाने के आदेश के लिए किसी आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया जाता है, तो किसी भी मामले में, उसके माता-पिता या संरक्षक से, और, यदि वह मिल सकता हो और युक्तियुक्त दूरी पर रहता है, जब तक सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि उसकी हाजिरी की अपेक्षा करना युक्तियुक्त न होगा, किसी भी कार्यवाही में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) जहां बालक को गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, जिसमें उसे लाया जाता है, बालक के माता-पिता या संरक्षक को, यदि वह मिल सकता हो, तो न्यायालय, जिसके समक्ष बालक उपस्थित होगा, में हाजिर होने का निदेश पारित करवायेगा :

(3) इस धारा के अधीन जिस माता-पिता या संरक्षक की हाजिरी की अपेक्षा की जानी हो, वह माता-पिता या संरक्षक होगा, जिसका बालक के ऊपर वास्तविक भारसाधक या नियन्त्रण हो :

परन्तु यदि ऐसे माता-पिता या संरक्षक पिता नहीं है, तो पिता की भी हाजिरी की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन किसी भी मामले में, जहां कार्यवाही संस्थित करने से पूर्व बालक को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसके माता-पिता को अभिरक्षा या भारसाधन से हटाया गया था, तो बालक के माता-पिता की हाजिरी अपेक्षित नहीं होगी ।

(5) इस धारा की कोई बात बालक को माता या महिला संरक्षक की हाजिरी की अपेक्षा करती हुई नहीं समझी जाएगी, यदि ऐसी माता या महिला संरक्षक स्थानीय रूढ़ि और रीति के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, किन्तु ऐसी कोई माता या महिला संरक्षक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्ता या एजेन्ट के द्वारा हाजिर हो सकेगी ।

बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना ।

32. यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी उसको हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और बालक की अनुपस्थिति में जांच में अग्रसर हो सकेगा ।

खतरनाक रोग से पीड़ित बालक को अनुमोदित स्थान के सुपुर्द करना तथा भावी व्यवस्था ।

33. (1) जब किसी ऐसे बालक के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया गया हो यह पाया जाए कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लम्बे समय तक चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा होगी या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो उपचार से ठीक हो जाएगी, तब सक्षम प्राधिकारी बालक को, ऐसे समय के लिए, जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझे, किसी ऐसे स्थान को भेज सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुमोदित स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त स्थान हो ।

(2) जहां कि कोई बालक कुष्ठ से पीड़ित या विकृत चित्त पाया जाए वहां उसके
1898 का 3 विषय में, यथास्थिति, कुष्ठरोगी अधिनियम, 1898 या भारतीय पागलपन
1912 का 4 अधिनियम, 1912 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

(3) जहां कि सक्षम प्राधिकारी ने किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित बालक के मामले में उप-धारा (1) के अधीन कार्रवाई की हो वहां सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसी कार्रवाई उक्त बालक के हित में होगी तो, उस बालक को, यथास्थिति, उसके पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या उसके संरक्षक को वापस दिलाने से पूर्व, यथास्थिति, उसके पति या पत्नी या संरक्षक से अपेक्षा करेगा कि वह चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करके सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान करें कि वह पति या पत्नी या संरक्षक उस बालक को, जिसके बारे में आदेश किया गया है, पुन: संक्रांत रोग नहीं करेगा ।

आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण ।

34. (1) जहां कि सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन उसके समक्ष (साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ से अन्यथा) लाया गया व्यक्ति बालक है वहां सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की आयु के बारे में सम्यक जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो और उस व्यक्ति की आयु यथाशक्य निकटतम रूप से कथित करते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति बालक है या नहीं ।

(2) सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि तत्पश्चात्, यह साबित हुआ कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में उसके द्वारा आदेश किया गया, बालक नहीं है और इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी ।

वे परिस्थितियां जिनका विचार इस अधिनियम के अधीन आदेश करने में किया जाएगा ।

35. किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के अधीन आदेश करने में प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों का विचार करेगा, अर्थात् :—

(क) बालक की आयु;
(ख) वे परिस्थितियां जिनमें बालक रह रहा है ;
(ग) परिवीक्षा अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट;
(घ) बालक की धार्मिक आस्था ;

(ङ) ऐसी अन्य परिस्थितियों जिन पर विचार करना सक्षम प्राधिकारी की राय में बालक के हित में अपेक्षित हो :

परन्तु अपचारी बालक की दशा में उपर्युक्त परिस्थितियों का तब विचार किया जाएगा जब कि बालक न्यायालय ने बालक के विरुद्ध यह निष्कर्ष कर लिया हो कि उसने अपराध किया है :

परन्तु यह और कि यदि परिवीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट धारा 19 के अधीन उसे इत्तिला दिए जाने के दस सप्ताह के भीतर प्राप्त न हो तो बालक न्यायालय उसके बिना अग्रसर होने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

बालक को अधिकारिता के बाहर भेजना । ऐसे उपेक्षित या अपचारी बालक की दशा में, जिसका मामूली तौर पर, निवास का स्थान उस सक्षम प्राधिकारी की, जिसके समक्ष वह लाया गया हो अधिकारिता के बाहर हो, सक्षम प्राधिकारी यदि सम्यक् जांच के पश्चात उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना समीचीन है, उस बालक को उस नातेदार या अन्य योग्य व्यक्ति के पास, जो अपने मामूली तौर पर निवास के स्थान पर उसे रखने के लिए और उसकी उचित देख-रेख उस पर नियंत्रण रखने के लिए रजामन्द हो, वापिस भेज सकेगा, यद्यपि वह निवास-स्थान सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर हो, और वह सक्षम प्राधिकारी, जो उस स्थान पर अधिकारिता का प्रयोग करता हो जहां बालक भेजा गया हो, तत्पश्चात् उद्भूत होने वाली किसी बात के बारे में उस बालक के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियां रखेगा मानो मूल आदेश उसके द्वारा किया गया हो ।

रिपोर्ट का गोपनीय माना जाना। 37. परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 35 के अधीन विचार की गई परिस्थिति गोपनीय मानी जाएगी :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, उसका सार बालक को या उसके माता पिता या संरक्षक को संसूचित कर सकेगा और उस बालक के माता-पिता या रक्षक को इस बात का अवसर दे सकेगा कि वह रिपोर्ट में कथित बात से सुसंगत कोई साक्ष्य पेश करें ।

इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अंतर्गत बालक के नाम आदि प्रकाशित करने का प्रतिषेध । 38. (1) किसी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचर पृष्ठ में इस अधिनियम के अधीन बालक के बारे में किसी जांच की कोई रिपोर्ट, बालक का नाम, पता या विद्यालय या अन्य विशिष्टियां, जिन से बालक का पहचाना जाना प्रकल्पित हो, प्रकट नहीं करेगी और न एसे बालक का कोई चित्र ही प्रकाशित किया जायेगा :

परन्तु जांच करने वाला प्राधिकारी ऐसा प्रकटन लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगा जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में हो ।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अपीलें । 39. (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सैशन न्यायालय में अपील कर सकेगा :

परन्तु सैशन न्यायालय उस अपील को उक्त तीस दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् तब ग्रहण कर सकेगा जब उसका समाधान हो जाए कि अपीलार्थी समय के अन्दर अपील फाईल करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था ।

(2) (क) ऐसे बालक के बारे में, जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि उसने अपराध किया है, बालक-न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के किसी आदेश; या

(ख) इस निष्कर्ष के बारे में कि वह व्यक्ति उपेक्षित बालक नहीं है बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश, से अपील न होगी।

(3) सैशन न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन अपील में किए गए आदेश से द्वितीय अपील नहीं होगी।

40. उच्च न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति पर, किसी भी समय किसी, ऐसी कार्यवाही का अभिलेख, जिसमें किसी सक्षम प्राधिकारी या सैशन न्यायालय ने कोई आदेश किया हो, आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकेगा और उसके संबंध में ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे : पुनरीक्षण।

परन्तु उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं करेगा।

41. (1) उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबन्धित है, सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए और उसके अध्याधीन रहते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में समन मामलों के विचारण के लिये अधिकथित प्रक्रिया का यावत्शक्तय अनुसरण करेगा। जांच अपील और पुनरीक्षण की कार्यवाहियों में प्रक्रिया।

1974 का 2

(2) उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबन्धित हो, इस अधिनियम के अधीन अपीलों या पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया यावत्शक्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसार होगी।

1974 का 2

42. (1) इस अधिनियम के अधीन, अपील या पुनरीक्षण के लिये उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सक्षम प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति पर, किसी आदेश को, जो उस संस्था के बारे में हो जिसे बालक भेजा जाना हो या उस व्यक्ति के बारे में हो, जिसकी देख-रेख या पर्यवेक्षण में बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा जाना हो, संशोधित कर सकेगा। आदेशों के संशोधन की शक्ति।

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश में की लिपकीय भूलों या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उनमें उत्पन्न होने वाली गलतियां किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति पर सुधारी जा सकेंगी।

अध्याय—6

बालकों के बारे में विशेष अपराध

43. (1) जो कोई, पुरुष के मामले में 16 वर्ष की आयु और महिला के मामले में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियन्त्रण रखते हुए ऐसी रीति में, जिससे ऐसे बालक को अनावश्यक कष्ट या उसके स्वास्थ्य की क्षति होना संभाव्य हो, उस बालक का, परित्याग करता है, उच्छन्न करता बालक के प्रति क्रूरता के लिए दण्ड।

है या जानबूझ कर उपेक्षा करता है या उसको, परित्यक्त, उपेक्षित, या अभिदर्शित कारित या उपाप्त करेगा, उच्छन्न किया जाना, वह दोनों में से किसी प्रकार के या तो कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई, बालक का नियोजक होने के नाते, उससे ऐसे विस्तार तक अधिक काम लेता है या ऐसी रीति में उससे बुरा बर्ताव करता है, जोकि घोर क्रूरता को कोटि में आता है, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, स्वास्थ्य की क्षति के अन्तर्गत, दृष्टि या श्रवण शक्ति की क्षति या हानि और शरीर के अंग या अवयव की क्षति और कोई मानसिक अव्यवस्था है, और बालक का भरण-पोषण करने को विधिक रूप से दायी माता-पिता या अन्य व्यक्ति यदि बालक के लिये पर्याप्त भोजन, कपड़े, चिकित्सा सहायता या आवास प्रदान करने का साधन रखते हुए, ऐसी व्यवस्था करने में असफल रहता है, उसके स्वास्थ्य को ऐसी रीति में क्षतिकारित करने की सम्भाव्य हो, उसको अपेक्षित किया हुआ समझा जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन, इस बात के होते हुए भी कि स्वास्थ्य को वास्तविक कष्ट या क्षति किसी अन्य व्यक्ति की कार्रवाई द्वारा दूर की गई है, किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया जा सकेगा।

(5) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा वह, किसी माता-पिता, अध्यापक या अन्य व्यक्ति, जो बालक का विधिपूर्ण नियन्त्रण या भारसाधन रखता हो, ऐसे बालक को दण्ड देने के अधिकार को हटा लेता है या प्रभावित करता है।

बालक को भीख मांगने को कारित या अनुज्ञप्त करना।

44. (1) जो कोई किसी बालक को, या बालक का वास्तविक भारसाधक अथवा उस पर नियन्त्रण रखते हुए उस बालक को भीख मांगने या भिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसी गली, परिसर या स्थान में रहने को प्रेरित करता है या अनुज्ञात करता है, या भीख देने को उत्प्रेरित करता है:—

(क) प्रथम अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) बालक की अभिरक्षा, भारसाधन या देख-रेख करने वाले व्यक्ति को यदि इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, और वह साबित हो जाता है कि बालक यथापूर्वक्ति किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी गली, परिसर या स्थान पर था, और यह कि आरोपित व्यक्ति से बालक को गली, परिसर या स्थान में

रहने के लिए अनुज्ञात था तो, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारित किया जायेगा, उसने उस प्रयोजन के लिये उसे गली, परिसर या स्थान में रहने के लिए अनुज्ञात किया है।

45. जो कोई किसी बालक को लोकस्थान में कोई मादक लिकर या बीमारी के मामले में अथवा अन्य अर्जेन्ट मामल में, सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय, कोई अनिष्टकर मादक द्रव्य देता है या दिलवाता है, वह— बालक को मादक लिकर या अनिष्टकर मादक द्रव्य देने के लिए शास्ति।

(क) प्रथम अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

46. यदि कोई व्यक्ति दृश्यमानतः सात वर्ष से कम आयु के बालक का भार साधन रखते समय किसी सार्वजनिक स्थान में चाहे वह इमारत हो या नहीं, अथवा मद्य बेचने के लिये अनुज्ञप्त किसी परिसर में, मदमत्त पाया जाता है और यदि ऐसा व्यक्ति अपनी मत्तता के कारण बालक की सम्यक् रूप से देख-रेख करने में असमर्थ है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा और यदि बालक उस आयु से कम का हो, तो जुर्माने से जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। बालक का भारसाधन रखते समय मत्त होने के लिए शास्ति।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ बालक को सात वर्ष से कम आयु का समझा जायेगा यदि वह सक्षम प्राधिकारी को, उस आयु से कम का प्रतीत हो, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता ।

47. जो कोई, या तो कथित अथवा लिखित, शब्दों द्वारा, या संकेत द्वारा, अथवा अन्यथा, किसी बालक को कोई दांव करने का प्रयत्न करता या पंद्यम् लगाने की उद्दीप्त करता या उद्दीप्त करने का प्रयत्न करता है अथवा किसी दांव या मद्यांश संव्यवहार में कोई अंश लता या हित रखता है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। बालक को दांव लगाने को उद्दीप्त करने के लिए शास्ति।

48. जो कोई, किसी बालक से कोई वस्तु गिरवी में लेता है, चाहे वह उस बालक ने अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से पेश की हो, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। बालक से गिरवी लेने के लिए शास्ति।

49. जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजनार्थ बालक को दृश्यमानतः उपाप्त करेगा या बालक के उपार्जनों को निर्धारित करेगा या उसके उपार्जन स्वयं अपने प्रयोजन लिए उपयोग में लायेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । बालक कर्मचारी का शोषण।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

बालक को उन्मोचित और अन्तरित करने की सरकार की शक्ति।

50. (1) सरकार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी समय यह आदेश कर सकेगी कि कोई उपेक्षित या अपचारी बालक बालक-गृह या विशेष विद्यालय से, या तो आत्यन्तिक रूप से या ऐसी शर्तों पर जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, उन्मोचित किया जाए।

(2) सरकार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश कर सकेगी कि—

(क) उपेक्षित बालक एक बालक-गृह से दूसरे को अन्तरित किया जाये;

(ख) अपचारी बालक एक विशेष विद्यालय से दूसरे को या जहां बोर्स्टल स्कूल हो, वहां विशेष विद्यालय से बोर्स्टल स्कूल को, या विशेष विद्यालय से बालक-गृह को अन्तरित किया जाए; और

(ग) कोई बालक, जो ऐसी अनुज्ञप्ति पर छोड़ा गया हो जो प्रतिसंहृत या समपहृत कर ली गई हो, उसे विशेष विद्यालय या बालक-गृह को जहां से वह छोड़ा गया था या किसी अन्य बालक-गृह या विशेष विद्यालय को या बोर्स्टल स्कूल को भेजा जाए :

परन्तु बालक-गृह या विशेष स्कूल में बालक के ठहरने की कुल कालावधि ऐसे अन्तरण द्वारा बढ़ाई नहीं जायेगी।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी बालक को किसी ऐसे व्यक्ति की देख-रेख से, जिसके अधीन वह इस अधिनियम के अधीन रखा गया था, या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों पर जिन्हें अधिरोपित करना सरकार ठीक समझे, किसी भी समय उन्मोचित कर सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन के बालक-गृह आदि तथा भारत के विभिन्न भागों में उसी प्रकृति के अन्य बालक-गृह आदि के बीच अन्तरण।

51. (1) सरकार यह निदेश कि कोई उपेक्षित बालक या उपचारी बालक हिमाचल प्रदेश में किसी बालक-गृह या विशेष विद्यालय से किसी अन्य राज्य में के बालक गृह, विशेष विद्यालय या उसी प्रकृति की संस्था को, अंतरित किया जाए, उस राज्य की सरकार की सम्मति से दे सकेगी।

(2) सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह उपबन्ध कर सकेगी कि हिमाचल प्रदेश में के किसी बालक-गृह या विशेष विद्यालय में कोई ऐसा उपेक्षित बालक या उपचारी बालक, जो किसी अन्य राज्य में के बालक-गृह या विशेष विद्यालय या उसी प्रकृति की संस्था में निरुद्ध है उस दशा में रखा जाए जब कि उस राज्य की सरकार ऐसे अन्तरण के लिये आदेश कर, और ऐसे अन्तरण पर इस अधिनियम के उपबन्ध उस बालक को ऐसे लागू होंगे मानो वह ऐसे बालक-गृह या विशेष विद्यालय को भेज जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन मूलतः आदिष्ट हो।

विकृतचित्त के या कुष्ठ से पीड़ित बालकों का अन्तरण।

52. (1) जहां कि सरकार को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष विद्यालय या बालक-गृह में रखा गया कोई बालक कुष्ठ से पीड़ित है या विकृतचित है वहां सरकार उसके कुष्ठी-गृह या मानसिक अस्पताल या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान को हटाए जाने का आदेश कर सकेगी कि वह उस अवधि के अवशिष्ट भाग पर्यन्त, जिसके दौरान वह सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन अभिरक्षा में

रखे जाने के लिये आदिष्ट हो, या ऐसी अतिरिक्त कालावधि पर्यन्त, जो बालक के उचित उपचार के लिये चिकित्सक आफिसर द्वारा आवश्यक प्रमाणित की जाए, रखा जाए।

(2) जहां कि सरकार को यह प्रतीत हो कि बालक के कुष्ठ या चित्तविकृत का उपचार हो गया है वहां यदि वह बालक फिर भी अभिरक्षा में रखे जाने का दायी हो तो, वह बालक का भारसाधन रखने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह उसे उस विशेष विद्यालय या बालक-गृह भेज दे जहां से उसे हटाया गया था, या यदि बालक अभिरक्षा में रखे जाने का दायी न रह गया हो तो वह उसके उन्मोचित किए जाने का आदेश कर सकेगा।

अनुज्ञप्ति पर बाहर रखना।

53. (1) जब कि बालक बालक-गृह या विशेष विद्यालय में रखा जाए, तब सरकार, यदि वह ठीक समझे, बालक को बालक-गृह या विशेष विद्यालय से छोड़ सकेगी और उसे ऐसी कालावधि के लिये और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक लिखित अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगी जो उसमें नामित किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के, जो उसे शिक्षित करने तथा किसी उपयोगी व्यवसाय या आजिविका के लिए प्रशिक्षित करने की दृष्टि से उसे रखने और उसको अपने भारसाधन में लेने के लिये रजामन्द हो, साथ या उसके पर्यवेक्षण के अधीन उस बालक का रखना अनुज्ञात करे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुदत्त उस अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कालावधि पर्यन्त या प्रतिसंहृत किए जाने तक, या तब तक जब तक वह उन शर्तों में से, जिन पर वह अनुदत्त की गई थी, किसी के भंग के कारण समपहृत न हो जाए, प्रवृत्त रहेगी।

(3) सरकार, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगी, और बालक को आदेश दे सकेगी कि वह बालक-गृह या विशेष विद्यालय, जहां से वह छोड़ा गया था या किसी अन्य बालक-गृह या किसी विशेष विद्यालय वापस जाए, और उस व्यक्ति को, जिसके साथ या जिसके पर्यवेक्षण के अधीन रहने के लिये बालक को उप-धारा (1) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार अनुज्ञात किया गया हो, वादा पर ऐसा अवश्य करेगा।

(4) जब कि कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत या समपहृत हो जाए और बालक उस विशेष विद्यालय या बालक-गृह को वापस जाने में असफल रहे जिसे वापस जाने में के लिये उसे निदेश दिया गया हो, तब सरकार, यदि आवश्यक हो, उसका भारसाधन में लिया जाना और विशेष विद्यालय या बालक-गृह वापस से जाया जाना कारित कर सकेगा।

(5) वह समय जिसके दौरान कोई बालक इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसरण में विशेष विद्यालय या बालक-गृह से अनुपस्थित रहे उस समय का भाग समझा जाएगा जिसके दौरान वह विशेष विद्यालय या बालक-गृह में अभिरक्षा में रखे जाने का दायी हो :

परन्तु यदि बालक अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहृत या समपहृत हो जाने पर विशेष विद्यालय या बालक-गृह को वापस जाने में असफल रहे तो वह समय जो ऐसे वापस जाने में उसकी असफलता के पश्चात व्यतीत हो उस समय की संगणना से अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान वह अभिरक्षा में रखे जाने का दायी हो।

बच निकले बालकों के बारे में उप-बन्ध।

54. किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई पुलिस आफिसर किसी ऐसे बालक को, जो विशेष विद्यालय या बालक-गृह से, या उस व्यक्ति को, जिसके अधीन वह इस अधिनियम के अधीन रखा गया हो, देख-रेख से बच निकला हो, वारण्ट के बिना अपने भारसाधन में ले सकेगा और वह बालक को, यथास्थिति, उस विशेष विद्यालय या बालक-गृह को या उस व्यक्ति के पास वापस भेज देगा और बालक के बारे में कोई कार्यवाही इस प्रकार बच निकलने के कारण संस्थित न की जायेगी, किन्तु विशेष विद्यालय, बालक-गृह या वह व्यक्ति उस सक्षम प्राधिकारी को, जिसने बालक के बारे में आदेश किया हो, इत्तिला देने के पश्चात् बालक के विरुद्ध ऐसा कदम उठा सकेगा जो आवश्यक समझा जाए।

बालक को निकल भागने को दुष्प्रेरित करने के लिए शास्ति।

55. (क) जो कोई जानबूझकर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 53 के अधीन अनुज्ञप्ति पर रखे गए बालक को उस व्यक्ति के पास से, जिसके पास उसे अनुज्ञप्ति पर रखा गया है भागने में सहायता करता है या उत्प्रेरित करता है; या

(ख) जो कोई, उस बालक को जो इस प्रकार भाग गया हो, जानबूझ कर संश्रय देता है, छिपाता है अथवा विशेष विद्यालय या बालक गृह अथवा उस व्यक्ति के पास जिसके पास उसे अनुज्ञप्ति पर रखा है या जिसकी देख-रेख में उसे इस अधिनियम के अधीन उसे सुपुर्द किया है, लौटने से निवारित करता है, या ऐसा करने में जाबूझ कर सहायता करता है, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

माता-पिता द्वारा अभिदाय।

56. (1) वह सक्षम प्राधिकारी जो किसी उपेक्षित बालक या अपचारी बालक को बालक-गृह या विशेष विद्यालय भेजने या योग्य व्यक्ति की देख-रेख में रखने का आदेश करे, माता-पिता से या बालक के भरणपोषण के दायी किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा कि, यदि वह ऐसा करने में समर्थ हो तो, उसके भरण-पोषण के लिये विहित रीति से अभिदाय करे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी उस माता-पिता को या बालक के भरण-पोषण के दायी अन्य व्यक्ति की परिस्थितियों की जांच करेगा और साक्ष्य, यदि कोई यथास्थिति, उस माता-पिता या अन्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा।

(3) बालक के भरण-पोषण के दायी व्यक्ति के अन्तर्गत उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अधर्मजत्व की दशा में उसका ख्यात पिता है:

परन्तु जहां कि बालक अधर्मजत्व हो और उसके भरण-पोषण का आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन किया जा चुका हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ख्यात पिता के विरुद्ध अभिदाय के लिये आदेश मामूली तौर पर नहीं करेगा, किन्तु यह आदेश कर सकेगा कि भरण-पोषण के उक्त आदेश के अधीन शोध्य प्रोदभयमान सम्पूर्ण धन-राशि या उसका कोई भाग किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाए और ऐसी धनराशि उस बालक के भरण पोषण के लिए उसके द्वारा दी जायगी। 1974 का 2

(4) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उसी रीति से प्रवर्तित किया जा सकेगा जिसमे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन आदेश किया जाता है। 1973 का 2

57. कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई बालक इस अधिनियम के अनुसरण में रखा जाए, उस समय, जब कि आदेश प्रवृत्त हो, उस बालक पर ऐसे ही नियन्त्रण रखेगा जैसे वह रखता यदि वह उसका माता-पिता होता और वह उसके भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी होगा और बालक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित कालावधि के दौरान उसकी अभिरक्षा में तब भी बना रहेगा, जब कि उसके लिए उसके माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया जाए : अभिरक्षक का बालक पर नियन्त्रण।

परन्तु ऐसी अभिरक्षा में होने के समय किसी बालक का विवाह सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना न किया जायेगा।

58. किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त किया जाए, सरकार निदेश दे सकेगी कि कोई अपचारी बालक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय कोई दण्डादेश भोग रहा हो, ऐसा दण्डादेश भोगने के बजाय उस दण्डादेश की अवशिष्ट कालावधि के लिए विशेष विद्यालय भेजा जायेगा या ऐसे स्थान में और ऐसी रीति में, जो सरकार ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध उस बालक को ऐसे लागू होंगे मानो वह, यथास्थिति, ऐसे विशेष विद्यालय को भेजे जाने के लिए बालक-न्यायालय द्वारा आदिष्ट किया गया हो या धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन निरुद्ध किए जाने के लिए आदिष्ट किया गया हो। इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय दण्डादेश भोग रहा अपचारी।

59. (1) सरकार उतनी संख्या में परिवीक्षा अधिकारी तथा विशेष विद्यालयों, बालक-गृहों, संप्रेक्षण-गृहों और पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठनों के निरीक्षण के लिये अधिकारी तथा अन्य ऐसे अधिकारी, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगी। अधिकारियों की नियुक्ति।

(2) परिवीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे —

(क) अपराध के अभियुक्त किसी बालक के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक इतिहास की जांच, सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार इस दृष्टि से करना कि उस प्राधिकारी को जांच करने में सहायता दे ;

(ख) उपेक्षित और अपचारी बालकों को ऐसे अन्तरालों पर जाकर देखना जैसे परिवीक्षा अधिकारी ठीक समझे ;

(ग) किसी उपेक्षित या अपचारी बालक के व्यवहार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा ;

(घ) उपेक्षित या अपचारी बालकों को उपदेश और सहायता देना और यदि आवश्यक हो तो उनके लिए उपयुक्त नियोजन का पता लगाने का प्रयास करना ;

(ङ) जहां कि कोई उपेक्षित या अपचारी बालक किसी व्यक्ति की देख-रेख में किन्हीं शर्तों पर रखा जाए, वहां यह देखना कि क्या उन शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है ; और

(च) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किया जाए।

(3) सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अधिकारी किसी विशेष विद्यालय, बालक-गृह, संप्रेक्षण-गृह या पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठन में प्रवेश कर सकेगा और उसके सब विभागों का तथा तत्सम्बन्धी सब कागजों, रजिस्टरों और लेखाओं का पूर्ण निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों का लोक सेवक होना।

60. इस अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त किए गए परिवीक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझे जायेंगे। 1860 का 45

बंधपत्रों के बारे में प्रक्रिया।

61. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय XXXIII के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन लिए गए बन्धपत्रों को यावत्शक्य लागू होंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

62. सरकार साधारणया विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, उन परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आदेश में विर्निदिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

63. कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियम और किए गए किन्हीं आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए सरकार या परिवीक्षा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी अन्य अधिनियम के विरुद्ध न होगी।

1897 के अधिनियम संख्यांक 8 का और 1974 के अधिनियम संख्यांक 2 के कतिपय उपबन्धों का लागू न होना।

64. (1) जिस क्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त कर दिया गया हो वहां सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 का और दण्ड प्रक्रिया-संहिता, 1973 की धारा 27 का लागू होना समाप्त हो जायेगा। 1974 का 2

(2) स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956 इस अधिनियम के अधीन स्थापित और बनाए रखे गए किसी बालक-गृह, विशेष विद्यालय या संप्रेक्षण-गृह को लागू न होगा। 1956 का 105

नियम बनाने की शक्ति।

65. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वे स्थान जहां पर वे दिन और वे समय जब और वह रीति जिससे सक्षम प्राधिकारी अपनी बैठकें कर सकेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और खतरनाक रोगों या मानसिक व्याधियों से पीड़ित बालकों के बारे में कार्रवाई करने का ढंग;

(ग) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें जिन के अध्यधीन कोई संस्था, विशेष विद्यालय या बालक-गृह के रूप में प्रमाणित की जा सकेगी या उन संप्रेक्षण-गृह के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी और ऐसे प्रमाणीकरण या मान्यता को प्रत्याहृत किया जा सकेगा ;

(घ) विशेष विद्यालयों, बालक-गृहों और संप्रेक्षण गृहों का आन्तरिक प्रवन्ध तथा उनके द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकार ;

(ङ) विशेष विद्यालयों, बालक-गृहों और संप्रेक्षण-गृहों के कृत्य और उत्तरदायित्व;

(च) विशेष विद्यालयों, बालक-गृहों, संप्रेक्षण-गृहों और पश्चावर्ती देख-रेख संगठनों का निरीक्षण ;

(छ) पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठनों की स्थापना तथा प्रवन्ध और उनके कृत्य, वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें जिनके अध्यधीन किसी संस्था को पश्चात्वर्ती देख-रेख संगठन के रूप में मान्यता दी जा सकेगी तथा ऐसे अन्य विषय जो धारा 12 में निर्दिष्ट हैं ;

(ज) परिवीक्षा अधिकारियों की अर्हताएं और कृत्य ;

(झ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती और प्रशिक्षण और उनकी सेवा के निवन्धन और शर्तें ;

(ञ) वे शर्तें जिनके अध्यधीन किसी ऐसी लड़की को, जो उपेक्षित या अपचारी बालक हो, एक स्थान से दूसरे स्थान रक्षाधीन भाथ ले जाया जा सकेगा और वह रीति जिससे कोई बालक सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर भेजा जा सकेगा ;

(ट) वह रीति जिससे बालक के भरण-पोषण के लिए अभिदाय माता-पिता या संरक्षक द्वारा दिए जाने का आदेश किया जा सकेगा ;

(ठ) वे शर्तें जिनके अधीन बालक, माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देख-रेख में इस अधिनियम के अधीन रखे जा सकेंगे और ऐसे रखे गए बालकों के प्रति ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं की बाध्यताएं;

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन बालक अनुज्ञप्ति के आधार पर बाहर रखा जा सकेगा और ऐसी अनुज्ञप्ति का प्ररूप और शर्तें ;

(ढ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखा जायेगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां। 66. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब चिल्डर्न ऐक्ट, 1949 और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त बालक अधिनियम, 1960 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं: 1966 का 31 1949 का 39 1960 का 60

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगा——

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार;

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही न किया गया हो।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।